कार्यालय सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भवाली (नैनीताल)

UTTARAKHAND

eepwdbhowali@rediffmail.com

पत्रांक 1792 /8सी0 दिनांक 01. 9.2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल

विषय– जनपद नैनीताल में मुख्यमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत नदगल गॉव को जोडने हेतु 1.33 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कायनिर्माण हेतु के अन्तर्गत गैरवानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन(प्रस्ताव स0 एफ0पी0/यू0के//19460/2016)

सन्दर्भ– भारत सरकार पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून 25 सुभाष रोड देहरादून का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/166/2020/ए0सी0/602 दिनांक 31.07.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में उक्त मोटर मार्ग के प्रस्ताव पर लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नवत है।

बिन्दू–1. लोक निर्माण विभाग में मोटर मार्ग की न्यूनतम चौडाई 5.95 मी0 निर्धारित है इसके अतिरिक्त मोडों मे CURVE के अनुसार क्रमशः 0.90 मी0 तथा 0.60 मी0अतिरिक्त चौडाई का प्राविधान करना पडता है। जिससे मार्ग की कुल चौडाई 6.85 मी0 मे मार्ग का निर्माण किया जाता है, मार्ग का निर्माण भारी वाहनो के आवागमन के हेतु किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण तथा सुरक्षा की दृष्टि से मार्ग का निर्माण 6.85 मी0 से कम किया जाना सम्भव नही है। इसके अतिरिक्त वर्षाकाल मे मलुवा आदि क्षतियो के कारण मार्ग निर्माण हेतु 9.00 चौडाई मी0 मे भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। साथ ही संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा मार्ग का निरीक्षण कर मार्ग पर वाहनों के संचालन हेतु उपयुक्त पाये जाने पर ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है मार्ग मानको के अनुरूप न पाये जाने पर मार्ग पर वाहनो के संचालन की अनुमति नही दी जाती है।अतः 5 मी0 चौडाई मे मार्ग निर्माण करना सम्भव नही है।

बिन्दू–2. ई0डी0एस0 28.12.220 मे अवगत कराया गया था कि ग्राम दीनी पी0एम0जी0एस0वाई मार्ग से जुडा है जिस कारण वहॉ से मार्ग को ले जानें मे ग्रामवासियों का आपत्ति है। तथा ई0डी0ए0 9.01.2023 मे अवगत कराया गया था कि यदि प्रस्तावित मार्ग का निर्माण विकल्प के रूप मे पी0एम0जी0एस0वाई0 के अधीन मार्ग मज्यूली मो0मार्ग से किया जाता है तो यह क्षेत्र पहले से ही तीव्र ढलान एंव भूस्खलन वाला क्षेत्र है जिस कारण मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना सम्भव नही है। महोदय,उक्त दोनो प्रतिउत्तर प्रश्न के अनुसार सही है।

बिन्दू–3. के क्रम मे ग्राम की लोकेशन को के0एम0एल0 पर पूर्व से ही दर्शाया गया है। तथा लाभान्वित ग्रामों की स्थिति को के0एम0एल0 फाईल पर दर्शित कर अपलोड कर दिया गया है।

अतः महोदय से निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/166/2020/ए0सी0/602 दिनांक 31.07.2023 द्वारा लगायी गयी आपत्तियो के निराकरण को अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का कष्ट करें।

01/9/23

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
भवाली (नैनीताल)

पत्रांक /8सी0 दिनांक . 09.2023

प्रतिलिपि– भारत सरकार पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून 25 सुभाष रोड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
भवाली (नैनीताल)

C:\Users\pc\Desktop\s panday\Letter.... (2)AE.doc